केमाशिबो/शैक्ष./ए.प्रो.एवं अ. निदे.(अ.छा.)/2026 **दिनांक: 18.03.2026**

परिपत्र संख्या: शैक्ष-12/2026

केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालय के प्रमुख

विषय: विद्यालयों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (Menstrual Hygiene Management MHM) के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन के संदर्भ में।

शिक्षा मंत्रालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 20 जनवरी 2026 के निर्णय की एक प्रति प्रेषित की है, जिसमें न्यायालय ने गारिमापूर्ण तरीके से मासिकधर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग माना है। न्यायालय ने इस बात पर बल दिया है कि किशोरियों के लिए शिक्षा के अधिकार और अवसर की समानता सुनिश्चित करने हेतु मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (एमएच एम) तक अभिगम अत्यंत आवश्यक है।

उक्त निर्णय में, माननीय न्यायालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विद्यालयों में निम्नलिखित निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनिवार्य कार्यान्वयन के लिए एक निरंतर परमादेश (continuing mandamus) जारी किया है।

इस संबंध में, केमाशिबो से संबद्ध सभी विद्यालयों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें:

1. **अवसंरचना**: विद्यालयों को बालिकाओं के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और स्वच्छ, अलग शौचालय और धोने की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
2. बालिकाओं के लिए बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन और एमएचएम कॉर्नर की **उपलब्धता**।
3. **अपशिष्ट प्रबंधन**: सैनिटरी अपशिष्ट का उचित निपटान।
4. **जागरूकता**: विद्यालयों को विद्यार्थियों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य और यौवन (puberty) के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित करना होगा। विद्यालय एनसीईआरटी/एससीईआरटी दिशानिर्देशों के अनुरूप जेंडर-संवेदनशील चर्चाओं को भी शामिल कर सकते हैं और एक सहायतापूर्ण विद्यालयी वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।
5. **आवधिक निरीक्षण**: विद्यालयों को उपर्युक्त उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले आवधिक निरीक्षणों में सहयोग करना होगा।

आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त, विद्यालय अपनी अनुपालन रिपोर्ट अलग से, प्रतिमाह, क्रमशः **31 मार्च 2026 और 30 अप्रैल 2026 तक,** इस गूगल लिंक पर प्रस्तुत कर सकते हैं: https://forms.gle/BD1F3c1N8GFrMarGA

शुभकामनाओं सहित!

हस्ता/-
(डॉ. प्रज्ञा एम. सिँह)
प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक)

निदेशालयों, संगठनों और संस्थानों के संबंधित प्रमुखों को यह अनुरोध करते हुए प्रति भेजी जा रही है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तक यह जानकारी पहुँचाए:-

1. आयुक्त, केंद्रीय विद्यालय संगठन, 18 इंस्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-16
2. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, सेक्टर-62, इंस्टीट्यूशनल एरिया,नोएडा-201309
3. सचिव, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस), जनजातीय कार्य मंत्रालय,भारत सरकार।
4. सचिव, सैनिक विदयालय सोसायटी, कमरा सं. 101, डी-1 विंग, सेना भवन, नई दिल्ली-110001
5. अध्यक्ष, ओडिशा आदर्श विद्यालय संगठन, एन-1/9, दूरदर्शन केंद्र के पास, डाकघर सैनिक विदयालय, नयापल्ली, भुवनेश्वर, ओडिशा-751005
6. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, एनसीटी दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054
7. जन अनुदेश निदेशक (विदयालय), संघ राज्य क्षेत्र, सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़-160017
8. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम–737101
9. विद्यालय शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, ईटानगर–791111
10. शिक्षा निदेशक, सरकार एएंडएन द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर–744101
11. विद्यालय शिक्षा निदेशक, लद्दाख, कमरा नंबर 101-102, भूतल, काउंसिल सचिवालय, कुरबाथांग, कारगिल – लद्दाख
12. विद्यालय शिक्षा निदेशक, आंध्र प्रदेश, तीसरा तल, बी ब्लॉक, अंजनेय टावर्स, वीटीपीएस रोड, भीमाराजू गुट्टा, इब्राहिमपटनम, आंध्र प्रदेश – 521456
13. निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, पुराना एचईसी हाई विदयालय, जेएससीए स्टेडियम रोड, जगन्नाथपुर, सेक्टर-III, धुर्वा, रांची-834004 (झारखंड)
14. नेवी एजुकेशन सोसाइटी, नौसेना शिक्षा निदेशालय, नौसेना मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लॉक-वी, आरके पुरम, नई दिल्ली-110066
15. अपर महानिदेशक नौ सेना, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू, पीओ, नई दिल्ली-110001
16. सचिव एडब्ल्यूईएस, रक्षा मंत्रालय (सेना) का एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी भवन संख्या 202, शंकर विहार (एपीएस के पास), दिल्ली कैंट-110010
17. अध्यक्ष, केमाशिबो के उप सचिव
18. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/सभी निदेशक,केमाशिबो
19. सभी क्षेत्रीय निदेशक/क्षेत्रीय अधिकारी केमाशिबो, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को अपने-अपने क्षेत्रों में बोर्ड से संबद्ध सभी विद्यालयों के प्रमुखों को भेजें
20. सभी संयुक्त सचिव/उप सचिव/प्रधाननिजी सचिव/वरिष्ठ निजी सचिव/अवर सचिव/सहायक सचिव
21. सभी प्रमुख/प्रभारी,केमाशिबो उत्कृष्टता केंद्र, केमाशिबो
22. प्रभारी आईटी इकाई, इस अनुरोध के साथ कि वे इस परिपत्र को केमाशिबो की शैक्षणिक वेबसाइट पर अपलोड करें।
23. प्रभारी, पुस्तकालय
24. रिकॉर्ड फ़ाइल

प्रोफेसर एवं निदेशक (शैक्षणिक)